

# न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(गौरव अग्रवाल, आई० ए० एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या  
प्रविष्टि दिनांक

52 / 2019  
18-7-2019

कानजी पुत्र भूरा भीणा निवासी ग्राम खिजूरी ग्राम पंचायत खिजूरी तहसील उनियारा  
जिला टोंक राज०

—अपीलान्ट

वनाम

नायब तहसीलदार सोप जिला— टोक

—रेस्पोजेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956  
विरुद्ध निर्णय नायब तहसीलदार सोप दिनांक 20-6-2019

उपस्थिति : (1) श्री दोलतराम चोधरी अभिभाषक अपीलान्ट  
(2) श्री जुगनू शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोजेण्ट

निर्णय

दिनांक 24-3-2021

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप ने अपने निर्णय दिनांक 20-6-2019 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 249 रकबा 0.01 है० वाके ग्राम कोटड़ी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर भूमि से बेदखल करने 1000/रूपये की पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार सोप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोजेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट को नायब तहसीलदार सोप द्वारा निर्णय से पूर्व नोटिस नहीं दिया है ओर नोटिस पर अपीलान्ट की विधिवत् व्यक्तिशः तामिल नहीं कराई गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुने बिना एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना एक पक्षीय निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है। अपीलान्ट की उक्त भूमि पर गत 20 वर्ष से भी अधिक समय से मौके पर दुकानें बनी हुई है। अपीलान्ट के दुकानों में बिजली व नल कनेक्शन लगा हुआ है तथा सार्वजनिक रूप से पानी की टंकी बनी हुई है। अपीलान्ट इस भूमि में बनी हुई दुकानों में अपना व्यवसाय करता चला आ रहा है। अपीलान्ट के पास व्यवसाय करने हेतु अन्य कोई दुकानें नहीं है। खसरा नम्बर काफी बड़ा है जिस में कई लोगों के मकानात/दुकाने बनी हुई हैं ओर आवादी एरो हुई है। पटवारी हल्का ने दुर्भावना पूर्वक अपीलान्ट के विरुद्ध कब्जे बाबत गलत रूप से रिपोर्ट की है। अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर नहीं दिया है।

✓



पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार ने विश्वास करके जो निर्णय पारित किया है वह निरस्त योग्य है। अपीलान्ट के अभिभाषक का यह भी कथन है कि नायब तहसीलदार ने अपीलान्ट को एक ही निर्णय के द्वारा तीन सजाएँ कमशः वेदखल करने पेन्ल्टी कायम करने व सिविल कारावास की सजा का निर्णय पारित किया है कानूनन इस प्रकार एक ही निर्णय द्वारा सारी सजायें एक साथ दिये जाने का प्रावधान नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दोषपूर्ण होने से निरस्तनीय है।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामिल हुई है। विवादित भूमि पर अपीलान्ट ने गेर मुमकिन सड़क पर दुंगानों का पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किया है। इस भूमि पर अपीलान्ट ने पहले भी अतिक्रमण किया था ओर अब पुनः अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विवादित भूमि से पूर्व में पत्रावली सं० 1311/12 निर्णय दिनांक 15-5-2012 से वेदखल किया गया था एवं पुनः पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना माना गया है। अपीलान्ट सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलान्तीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। किन्तु तामील कुनिन्दा द्वारा नोटिस की विधिवत तामील नहीं करवाई गई है। नोटिस पर कमल मीणा अंकित है जिससे यह ज्ञात नहीं होता है कि कमल मीणा का अपीलान्ट से क्या सम्बन्ध है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। नायब तहसीलदार सोप द्वारा अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20-6-2019 अपास्त किया जाता है एवं नायब तहसीलदार सोप को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर समस्त रिकार्ड/कब्जे की जांच कर पुनः विधिवत निर्णय पारित करें। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24-3-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)  
जिला कलेक्टर, टोक